संख्या- 89/2024/986/छप्पन-2024-99/2013 टी.सी.-1

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 10 अक्टूबर, 2024

विषयः आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 84/आर0सी0एस0-2024-एस-3/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि एम0ओ0यू0 की व्यवस्था के आलोक में, आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर पर सुरक्षा एवं अग्निशमन की व्यवस्था के निमित्त सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराए के मद में हुए व्यय के डिमाण्ड नोट भुगतान हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, जिसमें से माह सितम्बर, 2021 तक के बिलों का भुगतान किया जा चुका है। माह अक्टूबर, 2021 से अप्रैल, 2022 तक के बिल की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव निदेशालय के पत्र संख्या-242/आर0सी0एस0-2022-एस-3/2019 दिनांक 05 जनवरी, 2023 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया, जिस पर स्वीकृति अद्यतन प्रतीक्षित है। आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जनवरी, 2023 से अप्रैल, 2024 की अवधि के भी बिल प्राप्त हो गए हैं।

अतः पूर्व में शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित बिलों तथा आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त हुए अप्रैल, 2024 तक के बिलों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः-

डिमाण्ड नोट का संदर्भ	अवधि	मांगी गयी धनराशि (रू0 में)
AAI/NR/RCS/2021 दिनांक 06.12.2021	01.10.2021 से 30.11.2021 तक	14515126
AAI/NR/RCS/2022 दिनांक 15.02.2022	01.12.2021 से 31.01.2022 तक	15827732
AAI/NR/RCS/2022 दिनांक 02.06.2022	01.02.2022 से 30.04.2022 तक	20808627
AAI/KP/RCS/2024/04/561-563 दिनांक 29.02.2024	01.05.2022 से 31.05.2022 तक	8733565
AAI/KP/RCS/2024/05/537-539 दिनांक 29.02.2024	01.06.2022 से 30.06.2022 तक	4405544
AAI/KP/RCS/2024/06/540-542 दिनांक 29.02.2024	01.07.2022 से 31.07.2022 तक	8164427
AAI/KP/RCS/2024/07/543-545 दिनांक 29.02.2024	01.08.2022 से 31.08.2022 तक	5118344
AAI/KP/RCS/2024/08/549-551 दिनांक 29.02.2024	01.09.2022 से 30.09.2022 तक	9783271
AAI/KP/RCS/2024/09/552-554 दिनांक 29.02.2024	01.10.2022 से 31.10.2022 तक	8769603
AAI/KP/RCS/2024/10/555-557 दिनांक 29.02.2024	01.11.2022 से 30.11.2022 तक	7260070
AAI/KP/154/RCS/2022/502 दिनांक 17.02.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.01.2023 से 31.01.2023 तक	10799783
AAI/KP/154/RCS/2022/724-726 दिनांक 15.03.2023	01.02.2023 से 28.02.2023 तक	5576537

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(Cost of Deployment of CISF)		
AAI/KP/154/RCS/2022/978-980 दिनांक 12.04.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.03.2023 से 31.03.2023 तक	5143734
AAI/KP/154/RCS/2022/1001-1003 दिनांक 13.04.2023 (Security Equipment & Fire Services)	01.01.2023 से 31.03.2023 तक	2321361
AAI/KP/154/RCS/2023/1291-1293 दिनांक 16.05.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.04.2023 से 30.04.2023 तक	4908660
AAI/KP/154/RCS/2023/701-703 दिनांक 30.06.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.05.2023 से 31.05.2023 तक	5870562
AAI/KP/168/RCS/2023/1779-1781 दिनांक 17.07.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.06.2023 से 30.06.2023 तक	6104982
AAI/KP/154/RCS/2023/1872-1874 दिनांक 24.07.2023 (Security Equipment & Fire Services)	01.04.2023 से 30.06.2023 तक	2321361
AAI/KP/180/RCS/2023/2145-2147 दिनांक 17.08.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.07.2023 से 31.07.2023 तक	9084742
AAI/KP/181/RCS/2023/2749-2751 दिनांक 18.10.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.08.2023 से 31.08.2023 तक	5204572
AAI/KP/182/RCS/2023/2752-2754 दिनांक 18.10.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.09.2023 से 30.09.2023 तक	5821009
AAI/KP/RCS/2023/185/3132-3134 दिनांक 28.11.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.10.2023 से 31.10.2023 तक	5970073
AAI/KP/RCS/2023/186/3135-3137 दिनांक 28.11.2023 (Security Equipment & Fire Services)	01.07.2023 से 31.10.2023 तक	4245882
AAI/KP/RCS/2023/187/3257-3259 दिनांक 15.12.2023 (Cost of Deployment of CISF)	01.11.2023 से 30.11.2023 तक	7106948
AAI/KP/RCS/2024/02/156-158 दिनांक 19.01.2024 (Cost of Deployment of CISF)	01.12.2023 से 31.12.2023 तक	4283967
AAI/KP/RCS/2024/12/1027-1029 दिनांक 16.04.2024	01.01.2024 से 31.01.2024 तक	8720109
AAI/KP/RCS/2024/15/1093-1095 दिनांक 29.04.2024	01.02.2024 से 29.02.2024 तक	7758145
AAI/KP/RCS/2024/14/1033-1035 दिनांक 16.04.2024	01.03.2024 से 31.03.2024 तक	8730464
AAI/KP/RCS/2024/16/1332-1334 दिनांक 28.05.2024	01.04.2024 से 30.04.2024 तक	6343365
AAI/KP/183/RCS/2023/2743-2745 दिनांक 18.10.2023 (COR of Clothing of CISF)	For the year 2022-23	152137
AAI/KP/184/RCS/2023/2746-2748 दिनांक 18.10.2023 (Cost of Issued ARMS & AMMUNITION to CISF)	For the year 2022-23	103151
AAI/KP/RCS/2024/11/546-548 दिनांक 29.02.2024 (Cost of Issued ARMS & AMMUNITION to CISF and COR of Clothing of CISF)	For the year 2021-22	517711
कुल धनराशि		22,04,75,564/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त के दृष्टिगत आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर पर सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु रु0 22,04,75,564/- (रुपया बाईस करोड़ चार लाख पचहत्तर हज़ार पांच सौ चौंसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर पर अक्टूबर, 2021 से लेकर अप्रैल, 2024 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु धनराशि रू0 22,04,75,564/- (रुपया बाईस करोड़ चार लाख पचहत्तर हज़ार पांच सौ चौंसठ मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 22,04,75,564/- अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त बिलों की शुद्धता एवं धनराशि की गणना के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 22,04,75,564/- (रुपया बाईस करोड़ चार लाख पचहत्तर हज़ार पांच सौ चौंसठ मात्र) तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा "लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-113/दस-2024-2025, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 89/2024/986(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, कानपुर।
6. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कानपुर।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।